


मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2008

क्रमांक एफ 6-78/06/अ-ग्यारह - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का स 27) की धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वह प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है, जिसको कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन उस जिले में सूक्ष्म या लघु उद्यम स्थापित करने के लिये और धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के उप खण्ड (ए) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व उस जिले में स्थापित एवं पंजीकृत लघु उद्योग की बाबत मेमोरेडम फाईल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
29.9.08  
(टी.सी.लोहनी)

अपर सचिव


मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0 एफ 6-78/06/अ-ग्यारह  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29.सितम्बर, 08

- 1/ उद्योग आयुक्त, म0प्र0 भोपाल,
- 2/ आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल,
- 3/ नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिसूचना संलग्न कर आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त अधिसूचना असाधारण म.प्र.राजपत्र में दिनांक 30.9.08 में प्रकाशित करवाकर उसकी 50 प्रतियां इस विभाग उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 30.9.08 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करवाने हेतु प्रदत्त सहमति संलग्न है।
- 4/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
- 5/ समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश,

  
29.9.08  
(टी.सी. लोहनी)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग


**Government of Madhya Pradesh  
Commerce, Industry & Employment Department  
Mantralaya, Vallabh Bhawan Bhopal**

Bhopal, Dated 29 September 2006

**NOTIFICATION**

No. F-6-78/2006/A-11, In exercise of the powers Conferred by the sub-section (4) of the section-8 of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006), the State Government, hereby specify the General Manager of District Trade and Industries Centre of the concerned district as the authority with which any person intending to establish a micro or small enterprise therein, may file memorandum under clause (a) of sub-section (1) of Section 8 and under sub-clause (a) of clause (c) of sub-section (1) of Section 8 in respect of a small scale industry established and registered before the commencement of the said Act and located in the district concerned

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh

  
29.9.06

**(T.C. Lohani)**  
Additional Secretary  
Government of Madhya Pradesh  
Commerce, Industry & Employment  
Department